



बिहार सरकार
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय



विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15

पत्रांक- 7 स्था0 (4) लिपिक -06/2023.....

दिनांक-/2026

प्रेषक,

डॉ0 अरविन्द कुमार,
संयुक्त निदेशक (मु0)।

सेवा में,

अवर प्रमण्डल पशुपालन पदाधिकारी,
शेखपुरा।

विषय :- श्री अरुण कुमार प्रसाद, सेवानिवृत्त प्रधान लिपिक के सेवान्त लाभ का वसूली/समायोजन करते हुए भुगतान किया गया है अथवा नहीं के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है सी0 डब्लू0जे0सी0 संख्या 4027/2026, अरुण कुमार प्रसाद बनाम बिहार राज्य एवं अन्य मामले में दिनांक-23.03.2026 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा निम्नांकित आदेश पारित किया गया है :-

"Heard the parties.

2. As prayed for by the learned counsel appearing on behalf of the respondents, let the matter be listed on 27.04.2026, enabling them to file their respective counter affidavits." (छायाप्रति संलग्न)

उक्त के आलोक में निदेशित किया जाता है कि निम्नांकित बिन्दु पर स्पष्ट प्रतिवेदन, पत्र निर्गत के तीन (03) दिनों के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय :-

1. पशुपालन निदेशालय के आदेश संख्या-3548 (नि0), दिनांक 27.09.2025 एवं 3641 (नि0), दिनांक 03.10.2025 के माध्यम से अरुण कुमार प्रसाद के संसोधित ACP/MACP से संबंधित आदेश के आलोक में क्या श्री प्रसाद के पेंशन, उपादान, सेवान्त लाभ का वसूली/समायोजित करते हुए भुगतान किया गया है अथवा नहीं? से संबंधित स्पष्ट प्रतिवेदन दें।

2. पूर्व में प्रतिवेदित राशि 43,29,057/- (तैतालीस लाख उन्नतीस हजार सन्तावन) रूपये के कटौती की गई है अथवा नहीं से संबंधित स्पष्ट प्रतिवेदन।

3. साथ ही याचिका के आलोक में तथ्य विवरणी कंडिकावार उपलब्ध कराया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाए।

अनुलग्नक: - यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0/-

संयुक्त निदेशक (मु0)।

ज्ञापांक :- 7 स्था0 (4) लिपिक -06/2023.....1294(1)

पटना- 15, दिनांक- 31/3/ 2026

प्रतिलिपि :- जिला पशुपालन पदाधिकारी शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



बिहार सरकार
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय
विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15



प्रतिलिपि :- आनन्द वर्धन, अवर सचिव, पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :-आई0टी0 मैनेजर, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Handwritten signature
संयुक्त निदेशक (मु0)।

180

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
Civil Writ Jurisdiction Case No.4027 of 2026

=====

Arun Kumar Prasad Son of Late Ram Anup Prasad, Resident of Village-
Laxmanpur, P.O.- Jamalpur, P.S- Jamalpur, District- Munger, At present
residing of Mohalla- Bahadurpur, Near Hari Om Tiling Station- Main Road,
Bahadurpur, P.O- Sabour, P.S- Zero Mile, District- Bhagalpur.

... .. Petitioner/s

Versus

1. The State of Bihar through the Director, Animal Husbandry Department, Bihar, Patna.
2. The Joint Director, Animal Husbandry Department, Bihar, Patna.
3. The Regional Director, Animal Husbandry Department, Bhagalpur.
4. The Sub-Divisional Officer, Animal Husbandry Department, Sheikhpura.
5. The Accountant General, Bihar, Patna.

... .. Respondent/s

=====

Appearance :

For the Petitioner : Mr. Poddar Suresh Gandhi, Advocate
For the State : Mr. Rajat Kumar Tiwary, A.C. to S.C.24
For the A.G. : Mr. Binod Kumar Labh, Advocate

=====

CORAM: HONOURABLE MR. JUSTICE RITESH KUMAR
ORAL ORDER

2 23-03-2026 Heard the parties.

2. As prayed for by the learned counsel appearing on
behalf of the respondents, let the matter be listed on 27.04.2026,
enabling them to file their respective counter affidavits.

(Ritesh Kumar, J.)

Sanjay/-

U

24/03/26

117
24/03/26